



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/समन्वय//सीई/2024/

दिनांक: 09.10.2024

सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के
प्रधानाचार्य/संस्थानों के प्रमुख
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: बोर्ड परीक्षा पात्रता के लिए सीबीएसई परीक्षा उप-नियमों के अनुसार उपस्थिति आवश्यकताओं का सख्त अनुपालन

महोदया/महोदय,

यह अच्छी तरह से समझा जाता है कि विद्यालय केवल अकादमिक शिक्षा के केंद्र नहीं हैं, बल्कि छात्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विषय ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ, विद्यालय पाठ्येतर गतिविधियों, सहकर्म अभिज्ञान, चरित्र निर्माण, मूल्यों को विकसित करने, टीम वर्क, सहयोग, विविधता का सम्मान करने, समावेशन और कई अन्य सुविधाओं की सुविधा प्रदान करते हैं। अतः, नियमित विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके आलोक में, सभी विद्यालयों को Xवीं और XIIवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों की उपस्थिति के संबंध में सीबीएसई परीक्षा उप-नियमों के **नियम 13 और 14** का सख्ती से पालन करना चाहिए। बोर्ड के नियमों के अनुसार, बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र होने के लिए छात्रों के लिए न्यूनतम **75% उपस्थिति** अनिवार्य है। बोर्ड केवल चिकित्सा आपात स्थिति, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भागीदारी और अन्य गंभीर कारणों जैसी आपात स्थितियों के मामलों में **25% की छूट** प्रदान करता है, बशर्ते आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए हों।

विद्यालयों को निम्नलिखित सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है:

- छात्रों और अभिभावकों को सूचित करें:** सभी छात्रों और अभिभावकों को अनिवार्य 75% उपस्थिति की आवश्यकता और इसे पूरा न करने के संभावित परिणामों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। कोई भी छात्र, यदि चिकित्सा आपात स्थिति के कारण छुट्टी पर है, तो उसे बीमार पड़ने के तुरंत बाद उचित चिकित्सा पर्चे और प्रमाणपत्र आदि के साथ विद्यालय में छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा। बिना लिखित अनुरोध के विद्यालय से छुट्टी को अनधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा।



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077

Phone (off.) : 011-24050336-42, Website: www.cbse.gov.in



2. **छुट्टी प्रक्रिया:** चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में, छात्रों को तुरंत छुट्टी का लाभ उठाने के लिए वैध चिकित्सा दस्तावेज के साथ एक छुट्टी आवेदन जमा करना होगा। अन्य कारणों से, छात्रों को अपनी अनुपस्थिति के बारे में विद्यालय को एक वैध कारण के साथ और केवल लिखित रूप में सूचित करना चाहिए। यदि सीबीएसई द्वारा विद्यालयों के अचानक निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि छात्र उचित अवकाश रिकॉर्ड के बिना अनुपस्थित हैं, तो यह माना जाएगा कि वे नियमित रूप से विद्यालयों में भाग नहीं ले रहे हैं, सीबीएसई उन्हें बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं देगा।
3. **उपस्थिति की निगरानी:** विद्यालयों को नियमित रूप से सटीक उपस्थिति रिकॉर्ड की निगरानी और रखरखाव करना चाहिए। उपस्थिति रजिस्ट्रों को प्रतिदिन अद्यतन किया जाना चाहिए, कक्षा शिक्षक और विद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और सीबीएसई द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए।
4. **अभिभावक संप्रेषण:** यदि कोई छात्र प्रायः विद्यालय में अनुपस्थित रहता है या उपस्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो विद्यालय को अभिभावक को लिखित रूप में सूचित करना चाहिए, नियमित उपस्थिति के महत्व पर जोर देना चाहिए और उन्हें सूचित करना चाहिए कि अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप छात्र को बोर्ड परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
5. **सीबीएसई द्वारा निरीक्षण:** बोर्ड छात्र उपस्थिति रिकॉर्ड को सत्यापित करने के लिए औचक निरीक्षण कर सकता है। इस तरह के निरीक्षणों के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि रिकॉर्ड अधूरे हैं या यदि यह स्पष्ट है कि छात्र नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो विद्यालय को असंबद्धता सहित सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें कि एक बार विद्यालय द्वारा सीबीएसई को उपस्थिति मामलों की कमी प्रस्तुत करने के बाद उपस्थिति रिकॉर्ड में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस पत्र के साथ, आपको उपस्थिति की कमी को माफ करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और माफी के लिए मामले जमा करते समय उपयोग किए जाने वाले प्रोफार्मा मिलेंगे।

कृपया अपने छात्रों की शैक्षणिक सफलता और समग्र विकास का समर्थन करने के लिए उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। नियमित उपस्थिति न केवल बोर्ड की परीक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बल्कि जिम्मेदार और सर्वांगीण व्यक्तियों को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक है।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

भवदीय

ह-

(डॉ. संयम भारद्वाज)

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक/अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, सीबीएसई सभी संबंधितों को भेजने के लिए।
2. Xवीं और XIIवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक।
3. वेब-एडमिन से अनुरोध है कि सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करें और ईसंदेश- के माध्यम से भेजें।

उन छात्रों से संव्यवहार के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जिनकी उपस्थिति निर्धारित प्रतिशत से कम है

1. विद्यालय निम्नलिखित कार्रवाई करेंगे:-

- क. सत्र की शुरुआत में छात्रों और उनके माता-पिता को उपस्थिति के महत्व को सूचित करें;
- ख. शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रासंगिक नियमों और उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में छात्रों और अभिभावकों को संवेदनशील बनाना;
- ग. छात्रों और अभिभावकों को उन आधारों को सूचित करें जिन पर उपस्थिति की कमी को माफ किया जा सकता है;
- घ. छात्रों और अभिभावकों को सक्षम प्राधिकारी से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र (ओं) जमा करने/छुट्टी का लाभ उठाने के कारण का समर्थन करते हुए छुट्टी लेने हेतु आवेदन के लिए आवेदन के लिए सूचित करें;
- ङ. यदि वे नियमित रूप से कक्षाओं में भाग नहीं ले रहे हैं तो छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दें और ऐसे छात्रों के रिकॉर्ड को सही ढंग से बनाए रखें;
- च. उपस्थिति की कमी के बारे में अभिभावकों को सूचित करें;
- छ. विद्यालय केवल परीक्षा उप-नियमों के अनुसार मामलों की सिफारिश करेंगे;
- ज. उपस्थिति की गणना शैक्षणिक सत्र के 1 जनवरी तक की जाएगी;
- झ. उपस्थिति की कमी के मामले शैक्षणिक सत्र के 7 जनवरी तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त होंगे;
- ञ. कक्षा X या XII के शैक्षणिक सत्र के 7 जनवरी के बाद कोई भी मामला स्वीकार नहीं किया जाएगा;
- ट. अनिवार्य दस्तावेजों के बिना मामलों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

2. उपस्थिति की कमी के मामले में, विद्यालयों को छात्रों/अभिभावकों से निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करने होंगे और उपस्थिति की कमी को माफ करने पर विचार करने के लिए मामलों को अग्रेषित करते समय उन्हें बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा:

क्र सं.	उपस्थिति की कमी को माफ करने का वैध कारण	अनिवार्य दस्तावेज
1	लंबी बीमारी	1. अभिभावक द्वारा आवेदन 2. सरकारी डॉक्टर से अनुपस्थिति की अवधि के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र। 3. सभी मेडिकल रिपोर्ट, एक्स-रे आदि। 4. संलग्न प्रोफार्मा में विद्यालय की सिफारिश।
2.	मातापिता/ की मृत्यु या ऐसी किसी अन्य घटना के कारण विद्यालय से उसकी अनुपस्थिति जो विशेष ध्यान देने योग्य है।	1. माता-पिता द्वारा आवेदन 2. संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र 3. संबंधित विद्यालय की संलग्न प्रोफार्मा में सिफारिश

3.	इसी तरह की गंभीर प्रकृति का कोई अन्य कारण।	1. माता-पिता द्वारा आवेदन 2. संबंधित प्राधिकारी द्वारा कारण की प्रकृति का समर्थन करने वाले जारी प्रमाणपत्र 3. संबंधित विद्यालय की संलग्न प्रोफार्मा में सिफारिश
4.	सीबीएसई/एसजीएफआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अधिकृत भागीदारी	माता-पिता द्वारा आवेदन संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र 3. संबंधित विद्यालय की संलग्न प्रोफार्मा में सिफारिश
5.	मान्यता प्राप्त परिसंघों द्वारा राष्ट्रीय स्तर/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलों में विभिन्न प्रतियोगिताओं में अधिकृत भागीदारी	माता-पिता द्वारा आवेदन 2. भारतीय खेल प्राधिकरण का सिफारिश पत्र 3. संबंधित विद्यालय की संलग्न प्रोफार्मा में सिफारिश। 4. राष्ट्रीय स्तर/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने वाले छात्रों के लिए सीबीएसई द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार की जाने वाली।

3. उपस्थिति की माफी के लिए सीबीएसई को अनुरोध भेजने की सारणी निम्नलिखित होगी: -

क्र सं	कार्यकलाप	सारणी
1.	छात्र (छात्रों) द्वारा परीक्षा उपनियमों-के नियम 14 (i) के अनुरूप दर्ज की गई उपस्थिति पर विचार करना	कक्षा 10 या 12 के लिए शैक्षणिक सत्र के 1 जनवरी तक
2.	विद्यालयों को उपस्थिति के ऐसे सभी मामलों को ऊपर बताए गए दस्तावेजों के साथ सारणीबद्ध रूप में संकलित करना होगा (दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए अलग-अलग)	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाना है ताकि क्र सं. 1 में गतिविधि के 07 (सात) दिनों के भीतर पहुंच जाए अर्थात शैक्षणिक सत्र की 7 जनवरी।
3.	क्षेत्रीय कार्यालय भी विद्यालयों को कमी के बारे में बताएगा, यदि कोई हो	प्राप्ति की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अर्थात शैक्षणिक सत्र के 21 जनवरी तक।
4.	विद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय को कमी की पूर्ति के बारे में सूचित करेंगे	क्र. सं. 3 में गतिविधि की तारीख से 07 (सात) दिनों के भीतर अर्थात शैक्षणिक सत्र की 28 जनवरी
	सीबीएसई द्वारा मंजूरी की अंतिम तिथि	परीक्षा वर्ष की 7 फरवरी

सभी विद्यालयों को एसओपी को पढ़ने, समझने और उनका पूरी तरह से पालन करने का निर्देश दिया जाता है। विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यकता के अनुसार सभी दस्तावेज संबंधित छात्रों/अभिभावकों से प्राप्त किए जाएं और जहां भी आवश्यक हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएं।

Xवीं और XIIवीं कक्षा में उपस्थिति की कमी को दूर करने के लिए विद्यालयों द्वारा उपस्थिति की कमी को अद्योषित करने के लिए प्रोफार्मा (कक्षा X और XII के लिए अलग-अलग प्रोफार्मा)

1. कक्षा के..... निम्नलिखित उम्मीदवारों ने. प्रत्येक के सामने उल्लिखित शैक्षिक सत्र 20.....20..... के दौरान अपेक्षित उपस्थिति प्रतिशत प्राप्त नहीं की है।

2. विधिवत रूप से परीक्षण किए गए दस्तावेजों को निम्नलिखित मामलों से जोड़ा जाता है।

क्र सं	उम्मीदवार का नाम	संलग्न दस्तावेजों का नाम
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

हस्ताक्षर:_____

प्रधानाचार्य का नाम:_____

विद्यालय का नाम:_____

विद्यालय नंबर.:_____

संबद्धता सं.:_____

विद्यालय की मुहर:_____